ज्ञान तत्व 192

(क)लेख मंहगाई समस्या या समाधान

(ख) लोक स्वराज्य का रामचंदरपुर विकास खंड में 25 दिसम्बर 2009 को बीजारोपण।

(ग) अंतरजातीय विवाहों के पक्ष में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान तथा समीक्षा।

(घ) रामानुजगंज में ज्ञानयज्ञ परिवार का गठन।

मंहगाई समस्या या समाधान

मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक नवभारत दिनांक इकतीस दिसम्बर दो हजार नौ में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में प्रचार छपा था जिसका शीर्षक था "मंहगाई मार गई"। अखबार ने निष्कर्ष को तात्कालिक समाचार के रूप में प्रकाशित न करके वर्ष की सबसे बड़ी समस्या के रूप में प्रचारित किया है। एक तुलनात्मक मूल्य सूची भी प्रकाशित की है जिसमें पांच वर्ष पूर्व चावल ग्यारह रूपये, पिछले वर्ष चौदह रूपये और अभी तीस रूपये प्रति किलो बताया गया है। उसमें इसी तरह शक्कर, आलू, प्याज, दालें, खाद्य तेल आदि के भी मूल्यों की तुलना करके प्रमाणित करने की कोशिश की गई है कि "मंहगाई मार गई" । मंहगाई सिद्ध करने का एक आधार सरकारी आकड़ा भी बताया गया जिसके अनुसार एक वर्ष में जरूरी वस्तु मूल्य सूचकांक में उन्नीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं तत्काल ही अखबार लेकर अपने अम्बिकापुर शहर के बाजार में मंहगाई का पता करने निकल पड़ा और पता करने पर मालूम हुआ कि आज बाजार में चावल चौदह रूपये किलो खुदरा बिक रहा है। शक्कर, दाल और तेल के भावों में तो ज्यादा अन्तर नहीं था किन्तु गेहूँ का जो आटा बीस रूपये बताया गया है वह बाजार में चौदह रूपये प्रति किलो उपलब्ध है। पूछने पर यह भी पता चला कि खुदरा बजार में टमाटर तीन रूपये प्रति किलों का मिल रहा है जो पिछले वर्ष इसी अवसर में अम्बिकापुर में ही दस रूपये किलो उपलब्ध था। अखबार में प्याज की मूल्य वृद्धि को तो आधार बनाया गया किन्तु टमाटर की कहीं चर्चा नहीं हुई कि बेचारा सड़को पर मारा मारा फिर रहा है। ऐसा असत्य सिर्फ नवभारत अखबार में ही नही है। सच्चाई यह है कि सभी अखबार और सभी टी. वी. चैनल किसी न किसी रूप मे यह असत्य लगातार प्रचारित कर रहे है कि मंहगाई बेतहाशा बढ़ी है और मंहगाई से आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है।

एक वर्ष पूर्व का यदि अखबार निकाल कर देखे तो उसमें भी मंहगाई का रोना इसी तरह रोया गया है। उसमें महगाई के लिये आकलन करते समय गेहूँ चावल और प्याज गायब था। उसमें आकड़ा था सीमेन्ट, लोहा का छड़ और टमाटर। वर्तमान में जिस मूल्य सूचकांक का हवाला दिया गया है वह उस समय कम होने से एक दूसरी तरह का का सूचकांक बारह प्रतिशत मूल्य वृद्धि का लिखा गया था विदित हो कि उस समय दूसरा सूचकांक बहुत कम था तो उसके स्थान पर तेरह प्रतिशत वाले सूचकांक का उपयोग किया गया और इस समय वह सूचकांक घटकर चार आ गया है तो सूचकांक ही बदल दिया गया। दोनो ही आकड़े सरकारी है और दोनो ही आकड़े मूल्य सूचकांक है। आम आदमी बेचारा इस बाजीगरी को क्या जाने ।

तीन वर्ष पूर्व का अखबार निकाला तो उसमें भी मंहगाई से जन जीवन त्रस्त। डीजल पेट्रोल की भारी मूल्य वृद्धि। उसमें आकड़े देकर लिखा गया था कि किस तरह डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का आम जन जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव से सभी वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ गई है, गैस के दाम बढ़ने से गृहणियों का मासिक बजट गड़बड़ा गया है, आवागमन मंहगा होने से वस्तुओं का आना जाना प्रभावित हो रहा है आदि आदि।

तीन प्रकार के समाचार तीन अलग अलग आधारों पर निष्कर्ष निकाल कर प्रचारित किये गये। तीनों में कुछ बाते समान रहीं 1. तीनों ही निष्कर्ष समाचार में प्रकाशित न करके प्रचार के रूप में प्रकाशित होते रहे। 2. तीनों ही समाचारों में निष्कर्ष का आधार जान बुझकर बदला गया। 3. तीनों समाचारों के निष्कर्ष एक निकाले गये कि "मंहगाई मार गई" अर्थात् मंहगाई का समान्य जन जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। निष्कर्ष निकालने में अभी खाद्य वस्तुओं को आधार बनाया गया तो पिछले वर्ष लोहा सीमेंट को और उससे पहले डीजल पेट्रोल को। चालाकी तो यहॉ तक की गई कि पिछले वर्ष के सरकारी आकड़ो को भी इस तरह से बदला गया जैसे कि निष्कर्ष निकालने वाला किसी भी तरह समाज को इस निष्कर्ष तक पहुॅचाना ही चाहता था। इस वर्ष तो हद ही हो गई जब टमाटर के भावों को छिपाया गया और गेहूॅ, चावल के झूठे भाव प्रकाशित किये गये। चालाकी की गई कि गेहूॅ चावल के प्रकाशित आकड़े सामान्य जन के उपयोग के गेहूॅ चावल से हटकर विशेष किस्म के गेहूॅ चावल के है और निष्कर्ष सामान्य लोगों के लिये निकाला जा रहा है।

प्रश्न उठता है कि ऐसा प्रयत्न कोई एक अखबार न करके सभी अखबार और चैनल कर रहे है और निःशुल्क कर रहे है तो इसका कारण क्या है। मैनें पाया कि इसका सिर्फ एक ही कारण है कि भारत के आम नागरिक को ऐसे असत्य पढ़ने सुनने से राहत और संतोष मिलता है। प्रचार माध्यमों के दुष्प्रचार, राजनेताओं के तर्क और शासन की स्वीकृति के बाद कौन बचता है जो इस धारा के विपरीत शोध करे। यदि शोध भी करे तो वह कितनों तक पहुॅचेगा और पहुॅच भी गया तो कौन विश्वास करेगा। क्योकि आम आदमी तो पूरी तरह आश्वस्त और विश्वस्त है कि 1. महगाई बढ़ रही है 2. मंहगाई से आम लोगो की क्रय शक्ति घट रही है। मुद्रा स्फीति साठ वर्षो से बढ़ रही है यह पूरी तरह सच है किन्तु मुद्रा स्फीति का आम जन जीवन पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक उसके सामान्य उपयोग की वस्तुओं के औसत मूल्य से उसकी औसत आय के तालमेल का संतुलन गड़बड़ न हो जावें।

आम आदमी तीन वर्गो में बांटे जा सकते है। 1. निम्न 2. मध्यम 3. उच्च। निम्न वर्ग पर पिछली मंहगाईयों का कोई विशेष प्रभाव नही होता था। क्योकि जिस तरह वस्तुओ के मूल्य बढ़ते है उसी तरह उसका श्रम मूल्य भी बढ़ता है। तीन चार वर्ष पूर्व जब राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना शुरू हुई थी तब उसका मूल्य साठ रूपये प्रतिदिन था। आज सौ रूपया है। इस संबंध में निठल्ले विचारकों के प्रश्न, कि काम नही मिलता या भ्रष्टाचार होता है, आदि इसलिये महत्वहीन है कि ये बातें सच होते हुये भी साठ रूपये के समय भी मौजूद थी और आज भी है। मध्यम वर्ग पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है क्योकि उसी अनुपात में उनकी आय नही बढ़ती और उच्च वर्ग पर सर्वाधिक प्रभाव होता है क्योकि उसका तो सारा का सारा ढांचा ही डीजल, पेट्रोल,

बिजली या लोहा सीमेंट आवगमन पर टिका है। यदि इनकी मूल्य वृद्धि हो तो वह मंहगाई का हल्ला कराने की योजना बनाता है और उसके सबसे सफल आधार है वेतनभोगी कर्मचारी, राजनेता और मीडिया। बिना मंहगाई के मंहगाई सिद्ध करने के लिये ये तीनो ही तिकड़म करते रहते है।

इस सारी तिकड़म से सर्वाधिक प्रभावित होता है किसान। उस बेचारे की वस्तुओं का मूल्य स्वाभाविक रूप से भी बढ़ने नही दिया जाता । या तो सरकार उस मूल्य वृद्धि को कानून बनाकर रोक देती है या ऐसी वस्तुओं का आयात करकें। साठ वर्षो से उत्पादकों के विरूद्ध मंहगाई रूपी शस्त्र से लगातार आक्रमण किया गया। किसानों ने धीरे धीरे खेती कम कर दी और अन्य नौकरी अथवा छोटे उद्योग तलाशने लगे। सम्पूर्ण भारत के गांवों के किसान या मजदूर स्वयं या उनकी सन्तानें लगातार शहरों की ओर पलायन कर रही है यह जग जाहिर है। कई किसान तो बेचारे स्वर्ग सिधार गये। खासकर महाराष्ट्र में क्योकि वहॉ की सरकार ने उन्हें बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर रोक का एक तोहफा भी दे रखा है। खेती करना उनकी मजबूरी है। छतीसगढ़ सरकार भी अब अपने किसानों को वैसा ही तोहफा देने का अध्ययन करा रही है। अभी दो तोहफे उसने दिये भी है। 1. अपने गन्ने के गुड़ बनाने पर रोक के रूप में और दूसरा जो उसने अभी अभी एक जनवरी को किसानो को दिया है कि उसके हर प्रकार के उत्पादन पर अब बिक्री कर सरकार चार प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत वसूल करेगी। अभी अभी कृषि उत्पादों के मूल्यों मे जो वास्तविक वृद्धि हुई है किसानों के उस लाभ पर सरकार की बहुत तेज नजर लगी है। कभी गेहूँ चावल दाल खाद्य तेलों में वृद्धि इस तरह नहीं हुई थी जैसी इस बार है तो सरकार क्यों चूके।

साठ वर्षो में पहली बार हुआ है जब आम उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में औसत से अधिक वृद्धि हुई है अन्यथा इसके पूर्व तो कृषि उत्पाद जमीन सूंघते रहते थे और औद्योगिक उत्पादन की मूल्य वृद्धि को ही मंहगाई कह कह कर राजनैतिक खेल चलता रहता था। इस खेल का सीधा प्रभाव पड़ा कृषि उत्पादन पर जिसे उपभोक्ताओं और उनकी व्यवस्था ने अनदेखा किया। बड़ी मात्रा में किसानी आत्महत्या से भी किसी पर कोई प्रभाव नही पड़ा। प्रभाव पड़ा तब जब किसानों ने खेती कम करके दूसरी राह पकड़नी शुरू की और ईश्वर ने सूखे का एक झटका दिया। अब सरकार के समक्ष भी किसानों के सामनें जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। विदेशों में भी कोई अच्छी स्थिति नही कि अधिक आयात कर लें । सरकारी खेती तो और भी अधिक नुकसान देह होती है। हार थक कर कृषि उत्पादों की स्वाभाविक मूल्य वृद्धि को चुपचाप होने को ही समाधान माना जा रहा है। सरकार राजनैतिक हानि से बचने के लिये मंहगाई के विरूद्ध नकली चिल्लाहट का ढोंग कर रही है अन्यथा उसे कुछ कुछ आभास होने लगा है कि उत्पादन वृद्धि ही समस्याओं का एक मात्र समाधान है और उत्पादन वृद्धि के लिये कृषि उत्पादों की वास्तविक मूल्य वृद्धि के अलावा कोई अन्य उपाय है ही नहीं।

इस वर्ष की मंहगाई किसी भी रूप में कोई समस्या न होकर समस्याओं का समाधान है। जो लोग खेती के अलावा अन्य कार्यो में बहुत कमाई करने में लगे है उनके चिल्लाने से न तो विदेश सस्ता अनाज दे सकता है न ही किसान खेती की ओर लौटने की मूर्खता कर सकता है। दूध की मूल्य वृद्धि का रोना रोने वाले क्यो नही गाय भैंस पालने का

काम शुरू कर लेते है। कौन रोकता है उन्हें कीचड़ में जाकर खेती करने से । शब्दों के बीज बोकर मोटी मोटी तनखाहों की फसल काटने की खेती करने वालों को क्या पता है कि मंहगाई के हल्ले का उत्पादन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। वे तो सिर्फ दो चार सम्पन्न गृहणियों का इन्टरव्यू छाप कर पूरे भारत का दुख दर्द समझ जाया करते है। किसी किसान या दूध उत्पादक की पत्नी का इन्टरव्यू लेकर देखते क्यो नहीं कि उसका दुख दर्द क्या है। मैनें स्वयं पैतीस वर्षो तक खेती करने के बाद सन् पंचान्नवें में लुट पिटकर खेती को अलविदा कहा है और तब आज आपके समक्ष शब्दों के बीज बो रहा हूँ। और वह बीज भी वेतनों की फसल काटनें के लिये नहीं अन्यथा मै भी वैसा ही मंहगाई का रोना रोता जैसे अन्य लोग रो रहे है।

मंहगाई के दुष्प्रचार के विरूद्ध मजबूती से कलम उठाने की जरूरत है। धारा के विपरीत चलने का खतरा तो है किन्तु सच को सच कहना तो पड़ेगा ही। रमण सिंह जी चुनावों के पूर्व तक तो पूरी तरह किसानों के पक्ष में थे क्योकि उन्हें ज्यादा राजनैतिक तिकड़म नहीं आती थी। चुनावों के बाद भी वे एक वर्ष तक तो उत्पादन के महत्व को समझते रहें। किन्तु अब वे कुछ कुछ राजनैतिक तिकड़म समझने लगे है। किसानों को धान का भारी भरकम बोनस देना उनकी गलती थी। पूरे भारत से अलग चलकर आप थक जावेगें। उस भूल को उन्होंनें सुधार लिया। किन्तु अब कृषि उत्पादों पर वेट बढ़ाना अथवा गन्ने की गुड़ बनाने की स्वतंत्रता पर रोक आदि ऐसे आत्मघाती कदम है जो किसानों को निरूत्साहित करेंगे। वे जिस तरह किसानों द्वारा अपनी जमीन की बिक्री पर रोक लगानें की सोच रहे है वह भी उनकी स्वतंत्रता पर कुठाराघात ही होगा। उत्पादक और उपभोक्ता एक दूसरे के पूरक है। किन्तु पिछले साठ वर्षो से व्यवस्था ने हमेशा उत्पादकों को उपभोक्ताओं का पूरक बनाकर रखने की कोशिश की है जिसके दुष्परिणाम आज दिख रहे है। अब भी व्यवस्था चेत जाये तो अच्छा होगा अन्यथा किसान अब कुछ कुछ समझना शुरू कर रहा है जो वर्ग विद्वेष का कारण बन सकता है।

इस तरह इस एक वर्ष में पहली बार आम उपभोक्ता वस्तुओं की मंहगाई ने उत्पादकों के मन में आशा की जो किरण जगाई है उन किरणों के स्वागत में उपभोक्ता भी शामिल हो तो उनका स्वयं का ही हित है। विशेष कर कलम के सिपाहियों को तो अवश्य ही गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिये।

(ख)लोक स्वराज्य का बीजारोपण

लम्बी प्रतीक्षा के बाद पच्चीस दिसम्बर को रामचन्द्रपुर विकासखण्ड के एक सौ तेरह गांवो के कई सौ प्रतिनिधियों ने सर्व सम्मति से इस ब्लाक के गांवो में लोक स्वराज्य घोषित कर दिया। इसके पूर्व स्थानीय धर्मशाला में चौबीस दिसम्बर को इन प्रतिनिधियों को लोक स्वराज्य के प्रथम चरण के रूप में पांच विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि ग्राम सभा सशक्तिकरण लोक स्वराज्य का आधार होगा। इसके अन्तर्गत ग्राम सभा को इतना मजबूत किया जायगा कि वह समाज की पहली इकाई का स्वरूप ग्रहण कर सके। पहले सूत्र के रूप में ग्राम सभा की बैठकों में लोक और तंत्र के बीच की दूरी कम करने का सुझाव दिया

गया। इसके लिये सरकारी पंचायत के साथ साथ प्रत्येक गांव की ग्राम सभा एक पंद्रह सदस्यीय लोक पंचायत का गठन करेगी। लोक पंचायत सरकारी पंचायत के कार्यो की निगरानी करते हुये ग्राम सभा को पूरी जानकारी तथा सलाह देगी। ग्राम सभा सरकारी पंचायत पर हावी तथा निर्णायक होगी। ग्राम सभा में अधिकतम उपस्थिति हो इसका प्रयास लोक पंचायत करेगी तथा यह भी व्यवस्था करेगी कि सरकारी रजिस्टर में बाद में न कोई फेर बदल हो न बाद में कोई हस्ताक्षर हो सके। ग्राम सभा पूरा प्रयत्न करेगी कि सरकारी पंचायत एक भी मनमाना या गलत प्रस्ताव न पारित कर सके न रजिस्टर में लिख सकें।

दूसरे सूत्र के रूप में तय किया गया कि प्रत्येक ग्राम सभा पूरी तरह अहिंसक होने का वचन देगी। इसके अन्तर्गत अपराध नियंत्रण तथा सत्ता संघर्ष को अलग अलग रूपों में माना जायगा। पांच प्रकार के कार्य – 1. "चोरी, डकैती 2. बलात्कार 3. मिलावट कमतौल 4. जालसाजी 5. हिंसा और आतंक" को अपराध मानकर इसके विरूद्ध राज्य की हिंसा का समर्थन किया जायेगा किन्तु यदि राज्य अपने अनावश्यक कानून या टैक्स थोपकर समाज को गुलाम बनाने का प्रयत्न करे और इस संबंध में बल प्रयोग करे तो तटस्थता रखी जायेगी। नक्सलवादियों और राज्य के बीच सत्ता संघर्ष में यदि कोई हिंसा होती है तो ग्राम सभा तब तक तटस्थ रहेगी जब तक ग्राम सभा के किसी सदस्य पर कोई आक्रमण न हो अथवा कोई पक्ष ग्राम सभा की भूमिका को स्वीकार या अस्वीकार न कर ले। नक्सलवाद तथा राज्य के बीच टकराव को इस रूप में देखा जायेगा जैसे कि दोनों पक्ष समाज को अधिकाधिक गुलाम बनाकर रखने के लिये आपस में लड़ रहे हो। फिर भी नक्सलवादी हिंसा को राज्य प्रायोजित हिंसा की अपेक्षा कुछ अधिक बुरा समझा जायेगा। क्योंकि राज्य व्यवस्था लोकतंत्र का ढोंग तो करती है किन्तु नक्सलवाद तो ऐसे ढोंग की भी घोषणा नहीं करता।

तीसरे सूत्र के रूप में वर्ग विद्वेष को वर्ग समन्वय में बदलना है। इसके अन्तर्गत ग्राम सभा, लोक पंचायत अथवा अन्य ग्राम व्यवस्था में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब–अमीर किसान–मजदूर का न कोई भेदभाव किया जायेगा न ही भेदभाव फैलाने वाली चर्चाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। सामाजिक एकता को खंडित करने वाले प्रावधानों को सरकारी पंचायत तक ही सीमित किया जायेगा। सरकारी पंचायतों से बाहर न कोई आरक्षण होगा न ही सामाजिक भेदभाव।

चौथा सूत्र सबसे कठिन है। इसके अन्तर्गत सरकारी पंचायत का पंच सरपंच तथा सचिव भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। इसकी गारंटी प्रत्येक ग्राम सभा देगी। भ्रष्टाचार की परिभाषा ग्राम सभा तय करेगी तथा सफलता असफलता का आकलन भी ग्राम सभा ही करेगी। लोक पंचायत उसका सहयोग करेगी। प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम प्रमुख चुना जायेगा जो अधिकार शून्य किन्तु सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति माना जायेगा।

पांचवें सूत्र के रूप में ग्राम सभा एक प्रस्ताव पारित करके अपनी भूमि पर अपनी व्यवस्था से उत्पादित सभी वस्तुओं के क्रय विक्रय के लगे सभी प्रकार के टैक्स या प्रतिबंध हटाने के लिये शासन से निवेदन करेगी। यदि आवश्यक ही हो तो ऐसे टैक्स या प्रतिबंध ग्राम सभा की

स्वीकृति से ही लगाये जा सकेगें। किन्तु इस कार्य के लिये किसी प्रकार को कोई आंदोलन नही छेडा जायेगा। सिर्फ अपने जनप्रतिनिधियों को इस हेतु सहमत किया जायगा।

इस प्रशिक्षण शिविर मे यह भी तय हुआ कि लोक पंचायतों के गठन की प्रक्रिया, सरकारी पंचायतों के चुनाव जो तीस जनवरी तक पूरे होने है,के तत्काल बाद शुरू कर दी जायेगी। कर्नाटक से आये स्वामी गंगानन्द जी ने एक माह तक ब्लाक के गांवो में ग्राम सभा सशक्तिकरण विचार प्रसार हेतु यात्रा की घोषणा की और तत्काल ही अठाइस दिसम्बर से यात्रा हेतु निकल गये।

पच्चीस दिसम्बर को नगरपालिका मैदान में एक बड़ी आम सभा हुई । सभा की अध्यक्षता चंडीगढ़ के आई. जी. पुलिस श्री रणवीर शर्मा ने की। सर्व प्रथम बजरंग मुनि जी ने उन स्थितियों पर प्रकाश डाला जिनके कारण लोकतंत्र को लोक स्वराज्य में बदलने की आवश्यकता है। बताया कि भारत का लोकतंत्र लोक नियंत्रित न बनकर लोक नियुक्त तक रूक गया। परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था में तो लोक तंत्र आया किन्तु समाज व्यवस्था में नहीं आया। देश में भौतिक विकास तो होता गया किन्तु समाज पिछड़ता चला गया विभिन्न अपराध, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातीय टकराव, आर्थिक विषमता तथा श्रमशोषण लगातार बढ़ रहे है। इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि लोक तंत्र राज्य व्यवस्था से निकलकर समाज व्यवस्था में आ जावें जिसे हम लोक स्वराज्य कहते है।

मुनि जी ने बताया कि जिन जिन प्रदेशों में ग्राम सभाओं को कानूनी मान्यता तथा शक्तियॉ दे दी गई है, वहॉ यदि ग्राम सभाएँ सक्रिय होकर वास्तव में सशक्त हो जावे तो लोकतंत्र लोक नियंत्रित हो सकता है। इस व्यवस्था को हम लोक स्वराज्य भी कह सकते है तथा यह नयी समाज व्यवस्था का भी रूप ले सकती है । अपनें गांव के पंच, सरपंच तथा सचिव पर इस तरह नियंत्रण करना होगा कि वह किसी भी रूप में भ्रष्टाचार न कर सके। समाज को तोड़ने वाले जाति, धर्म, भाषा, लिंग, गरीब–अमीर, किसान–मजदूर आदि के भेदभाव को ग्राम सभा से अलग करना होगा। किसी भी प्रकार की हिंसा या बल प्रयोग को अमान्य किया जायगा तथा रोटी, कपड़ा, दवा, मकान, कृषि उत्पादन जैसी मूल भूत उत्पादन तथा उपभोग की वस्तुएँ कर मुक्त नियंत्रण मुक्त करने का राज्य पर दबाव बनाया जायेगा।

मुनि जी ने कहा कि नक्सलवाद का समाधान न विकास है न ही बन्दूक। नक्सलवाद का एकमात्र समाधान है ग्राम सभा सशक्तिकरण। यह इस समस्या का आसान और सफल समाधान है। मुनि जी ने घोषणा की कि आज उपस्थित रामचन्द्रपुर विकासखंड के एक सौ तेरह गांवों के लोक प्रतिनिधि अपने अपने गांवों के पंच, सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार पर अंकुश का दायित्व स्वीकार करते हुए पूरे विकासखंड को लोकस्वराज्य विकासखण्ड घोषित करते है। उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि से प्रस्ताव का समर्थन किया।

इस अवसर पर श्री ईश्वर दयाल जी राजगीर नालंदा के प्रस्ताव पर ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान के संयोजक श्री केशव चौबे जी को स्वराज्य बाबा की उपाधि प्रदान की गई तथा माना गया कि अब भविष्य में उन्हें स्वराज्य बाबा के नाम से ही संबोधित किया जायेगा। स्वराज्य बाबा ने उदवोधन में विश्वास दिलाया कि हम इस विकासखंड को भ्रष्टाचार मुक्त

पंचायत के रूप में तो कर ही लेगे। साथ ही हम विश्वास दिलाते है कि हम इस विकासखंड से हिंसा, वर्ग विद्वेष तथा राजनैतिक गुलामी से भी मुक्ति की ओर बढ़ने सफल होगें।

आचार्य कुल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आचार्य धर्मेन्द्र ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और राज्य प्रबंधक। भारतीय लोकतंत्र में इसके ठीक विपरीत हुआ जिसका परिणाम समाज को भुगतना पड़ रहा है। रामानुजगंज विकासखण्ड ने लोक स्वराज्य का जो बीड़ा उठाया है वह भारतीय इतिहास का ही नही, विश्व इतिहास का अंग बनेगा। उत्तर प्रदेश से आये डाक्टर इस्लाम अहमद फारूखी ने कहा कि लोक स्वराज्य के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग है ही नहीं। जनता तो परिवर्तन के लिये तैयार है किन्तु उसे मार्ग नहीं मिल रहा था। श्री श्रुतिवंतु दुबे सीधी मध्य प्रदेश ने कहा कि ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान राजनैतिक परिवर्तन की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार बनेगा। समाज का मनोबल टूटा हुआ है। इस अभियान से समाज का मनोबल बढ़ेगा। सोनभद्र जिले के महेशाभाई ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में होते हुये भी रामचन्द्रपुर विकासखण्ड से बिल्कुल सटे हुये है। हम भी अपने विकासखण्ड के कुछ गांवों में ग्राम सभा सशक्तिकरण का वचन देते है। आज की राजनीति या तो बन्दूक की गुलाम है या सन्दूक की। यह अभियान इन दोनों गुलामियों से मुक्त करेगा। वाड्रफनगर के प्रतिनिधि रमाकान्त गुप्त जी ने भी पूरी योजना का समर्थन किया। उन्होनें कहा कि रामचन्द्रपुर ब्लाक गरीब हो सकता है किन्तु इस प्रकार की योजना की शुरूआत यहॉ से होना प्रमाणित करता है कि परिवर्तन में गरीबी कही बाधक नही होती। झारखण्ड के प्रतिनिधि सुमन जी ने कहा कि हमारा क्षेत्र झारखण्ड में होते हुये भी रामानुजगंज की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। हम हमेशा ही सुख दुख का बंटवारा करते रहे है। इस संघर्ष में भी हम साथ रहेगें। झासी से राजीव भगवान ने तो बहुत विस्तार से सभा को बताया कि यहॉ की शुरूआत रंग लायेगी और अगामी दो वर्षो में ही ऐसी हवा चलेगी कि करोड़ो लोग संसद भवन पहुचकर कहेगे कि बस अब बहुत हो चुका। अब तो जनता परिवर्तन करके ही मानेगी। श्री ईश्वर दयाल जी राजगीर ने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के दिन से ही व्यवस्थापकों नें स्वयं को शासक, शासन या गवर्नमेन्ट नाम से कहना और मानना शुरू किया जो गलत है। अब धीरे धीरे इन्हें अंग्रेजी में मैनेंजर और हिन्दी में प्रबंधक कहना शुरू करें। श्रोताओं ने तालियॉ बजाकर सुझाव का स्वागत किया।

सभा की अध्यक्षता कर रहे चंड़ीगढ़ के आई जी पुलिस श्री रणवीर शर्मा ने कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिये एक पहचान के रूप में आया है जब किसी एक विकासखंड ने ग्राम सभा सशक्तिकरण के माध्यम से भ्रष्टाचार, हिंसा, सामाजिक विघटन, राजनैतिक गुलामी तथा अनावश्यक कानूनों से मुक्ति के प्रयत्नों की घोषणा की है। यदि एक गांव भी ऐसी घोषणा करता है तो वह लोकतंत्र के लिये शुभ दिन होता किन्तु यहॉ तो एक विकासखंड के एक सौ तेरह गांव मिलकर ऐसी घोषणा कर रहे है।

श्री शर्मा जी ने बताया कि यदि गांव के लोग ऐसा निश्चय कर लें तो उन्हें पूरा करने में न कोई कानून रोकता न ही संविधान या कोई और। ग्राम सभा मे न कोई आरक्षण है न कोई रूकावट। यदि ग्राम सभा सकिय हो जावें तो शासकीय हस्तक्षेप भी कम हो सकता है।

आप लोगों ने सभी समस्याओं के समाधान का मूल आधार खोज लिया है और आपनें विकास खंड से पहल करके देश को मार्ग बता दिया है।

सभा को देश भर से आये अनेक विद्वानों ने भी संबोधित किया तथा अन्य प्रदेशों में भी ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान चलाने का आश्वासन दिया। रामानुजगंज नगर पंचायत अध्यक्ष श्री रामकृष्ण पटेल के धन्यवाद ज्ञापन से आयोजन समाप्त हुआ।

कार्यालयीन प्रश्नो के उत्तर

(ग)प्रश्नः— राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ प्रमुख मोहन जी भागवत ने आगरा की एक बैठक में कहा कि हिन्दू समाज को उसकी जाति व्यवस्था ने बहुत नुकसान पहुॅचाया है। अब समय आ गया है कि जातीय व्यवस्था को समाप्त किया जावें। इसके लिये अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन एक अच्छा आधार है।

संघ प्रमुख के इस सुझाव पर एक विद्वान लेखक दिलीप मंडल जी ने जन सत्ता उन्तीस दिसम्बर में लेख लिखकर विचार दिया कि यदि यह संघ की हार्दिक इच्छा है तो यह विचार स्वागत योग्य है क्योकि अम्बेडकर जी तो लम्बे समय से यह बात कह रहे थे। यदि संघ ने परिस्थिति वश लाभ हानि का आकलन करके यह संशोधन किया तब भी कोई बात नहीं। किन्तु यदि संघ ने चालाकी से वर्तमान जातीय आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से यह बात कही तो हमें सतर्क हो जाना चाहिये।

आप जातीय आरक्षण के भी विरूद्ध हैं और और जातिवाद के भी। आप बताइये कि दिलीप मंडल जी की शंकाओं में कितना यथार्थ है।

उत्तरः— जाति प्रथा की उत्पति न समाज व्यवस्था से है न धर्म व्यवस्था से। हमारी प्राचीन समाज व्यवस्था मे मूल तत्व किसी ग्रंथ पर आधारित न होकर पंरपराओं से बनते रहें है। वर्ण और जाति एक नही है जैसा कि लोग समझते है। मानव प्रकृति में गुण कर्म और स्वभाव को मिलाकर जो भिन्न भिन्न परिणाम होते है उन्हें चार वर्णो में बांटकर भिन्न भिन्न वर्ग बना दिये गये। यह वर्ग निर्माण जन्म अनुसार न होकर योग्यतानुसार था। ब्राम्हण का लडका ब्राम्हण ही होगा, यह आवश्यक नही था। प्रत्येक वर्ण तो गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार ही बना किन्तु जातियॉ सिर्फ कर्म अनुसार बनी अर्थात् समाज, गुण, कर्म, स्वभाव अनुसार चार वर्णो में विभाजित था और वर्ण कर्म अनुसार जातियों में। प्रत्येक वर्ण की आन्तरिक जातियॉ भिन्न भिन्न थीं। ब्राम्हण वर्ण में तेली नाई नही थें और न ही वैश्य में पुरोहित आदि। शूद्र और अछूत अलग अलग थे। शूद्र वर्ण व्यवस्था के अन्दर थे और अछूत बाहर होने से अवर्ण माने जाते थे। बाद में भ्रम वश अवर्ण और शूद्र का भेद मिट गया।

समाज व्यवस्था का कोई संगठन न होनें से मान्यताएॅ ही व्यवस्था का स्वरूप ग्रहण करती रहीं। अनेक स्मृतियॉ बनीं किन्तु विधिवत किसी स्मृति को मान्य घोषित नहीं किया गया। जिसे ज्यादा लोगों ने स्वीकार कर लिया वही मान्य हो गई। विवाह और खान पान या

रीति रिवाज प्रत्येक वर्ण के अन्तर्गत बनी जातियों के अपने अपने हो क्योंकि जाति के आधार पर व्यवसाय निश्चित होने से जाति में विवाह सुविधा जनक होता था। कल्पना करिये कि तेली परिवार में बढ़ई परिवार की अपेक्षा तेली व्यवसाय से जुड़ी लड़की ही आवें तो क्या अधिक सुविधा जनक नही होगा? निश्चित रूप से सुविधा होगी। इसी सुविधा के आधार पर जाति व्यवस्था भी स्थायी होती गई और जाति व्यवस्था के आधार पर वर्ण व्यवस्था भी।

यद्यपि जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो जाने से योग्यता पिछड़ती गई। इसका प्रभाव शूद्रो पर भी हुआ ही किन्तु मुख्य अत्याचार अवर्णो के साथ हुआ क्योकि वे श्रमजीवी के साथ साथ अछूत भी बना दिये गये थे जबकि शूद्र अछूत नहीं था। इस जन्म आधारित व्यवस्था को तोड़कर कर्म आधारित करना ही एक मात्र समाधान था। इस अनुसार सभी शिक्षक, न्यायाधीश, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, धार्मिक विद्वान आदि पहले वर्ग में, राजनीतिज्ञ दूसरे वर्ग में, व्यवसायी तीसरे वर्ग में, श्रमजीवी चौथे वर्ग में, तथा अपराधी अवर्ण घोषित हो सकते थे। कोई और संशोधित व्यवस्था संभव थी।

स्वतंत्रता के पूर्व जाति और वर्ण व्यवस्था में विकृति चरम पर थी किन्तु गुलामी से मुक्ति के संघर्ष को प्राथमिकता दी गई और इस विकृति निवारण की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी स्वामी दयानन्द, अनेक सिख धर्म गुरू या माहात्मा गांधी आदि की नजरों में जातिवाद को विकृति मानकर परिवर्तन की इच्छा शक्ति थी। किन्तु अम्बेडकर जी ने इस सामाजिक विकृति का समाधान करने की अपेक्षा इसका राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया। वें जातिवादी भेदभाव की समाप्ति की अपेक्षा उसे ऐसा स्थायित्व देना चाहते थे जिसके आधार पर समाज शोषक और शोषित के रूप में दो वर्गो के रूप में बंट जावें और यह वर्ग विभेद भी कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर जीवित रहें। यह वर्ग भेद आज तक अम्बेडकर जी की पूंजी बना हुआ है। कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था कमजोर होकर जन्म के आधार पर फिर से मजबूत हो रही है। यदि अधिवक्ताओं की अलग जाति बने और डाक्टरों की अलग। इसी तरह नेताओं की अलग और मजदूरों की अलग। धीरे धीरे पुरानी जाति व्यवस्था कमजोर होती जायेगी और नई जाति व्यवस्था मजबूत होगी। किन्तु इस नई व्यवस्था के बनाने में अम्बेडकर जी का संविधान सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि इस व्यवस्था से जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था कमाजोर होगी। इससे वर्ग विद्वेष भी घटेगा जो अन्ततः अम्बेडकर जी के नाम का लाभ उठाने वालों को कमजोर करगा। जाति व्यवस्था के टूटनें में यह सबसे बड़ा पेच है और यही कारण है कि दिलीप मंडल जी ने भी संघ प्रमुख भागवत जी की अन्तर्जातिय विवाह प्रोत्साहन योजना के प्रति शंका प्रकट की है।

वैसे जाति प्रथा टूटेगी ही। सवर्णों में कन्या भ्रूण हत्या ने लिंगानुपात गड़बड़ा कर लड़कियों का अभाव बना दिया है। सवर्णों को अन्य वर्णो के साथ विवाह संबंध बनाना उनकी मजबूरी भी है क्योंकि एकाएक लड़कियॉ तैयार करना तो संभव नहीं है। वैसे हर राजनैतिक नेता कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का भरसक प्रयत्न कर रहा है क्योंकि उसे लड़कियों का अभाव स्पष्ट दिख रहा है। उसे न न्याय अन्याय से कुछ लेना देना है न ही सामाजिक विकृति से। उसे चिन्ता है महिलाओं की घटती संख्या की। जो भागवत जी का सुझाव बहुत समयानुकूल भी हैं और उचित भी। मंडल जी को उक्त सुझाव में शंका की जरूरत नहीं। यदि कोई दवा प्रतिद्वन्दी किसी

दवा फैक्ट्री को असफल करने के लिये बीमारों को स्वस्थ करना शुरू कर दे तो इसमें शंका क्यो? यदि संघ आरक्षण समाप्ति के उदेश्य से भी जाति प्रथा का विरोध करे और मंडल जी उक्त विरोध में शंका व्यक्त करें तो भागवत जी के कथन में शंका कम और मंडल जी की शंका पर शंका अधिक होती हैं। मैं तो इस मत का हूँ कि जाति प्रथा के समाप्त होने में आरक्षण ही सबसे बड़ी बाधा है। और यदि शंका ही व्यक्त करनी हो तो भागवत जी या मंडल जी के कथनों पर शंका व्यक्त न करके अम्बेडकर जी पर ही शंका क्यों न व्यक्त कर दी जावें जिन्होंने आरक्षण को आगे करके जातीय टकराव को फिर से मजबूत कर दिया।

(घ)रामानुजगंज में ज्ञान यज्ञ परिवार का गठन

आज दिनांक चार जनवरी को रामानुजगंज में स्थानीय धर्मशाला में ज्ञान यज्ञ के साथ साथ ज्ञान यज्ञ परिवार का गठन हुआ। प्रारंभ में बजरंग मुनि जी ने कहा कि वे पचपन वर्षो से रामानुजगंज में लगातार ज्ञान यज्ञ की व्यवस्था संभाल रहे है। अब उम्र और स्वस्थ्य के आधार पर उन्हें यह दायित्व उपयुक्त व्यक्ति को सौप देना चाहियें। उन्होंने चार वर्ष तक दिल्ली में रह कर भी तलाश की और पाया कि कार्य के विस्तार के आधार पर किसी व्यक्ति की अपेक्षा एक संगठन बनाना अधिक उपयुक्त होगा। आज की बैठक एक संगठन के रूप में बैठकर इस दायित्व को स्वीकार करें। संगठन का नाम ज्ञान यज्ञ परिवार होगा। नई व्यवस्था होते तक इसके समन्वय का कार्य पंकज अग्रवाल को दिया गया। मुनि जी ने ज्ञान यज्ञ परिवार के दस प्रमुख कार्य बताये।

1. ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान। यह अभियान वर्तमान में रामचन्द्रपुर विकासखंड के एक सौ तेरह गांवो में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत व्यवस्था तथा लोक स्वराज्य को जोड़कर चल रहा है। इसके संयोजक स्वराज्य बाबा है।
2. नगर सभा सशक्तिकरण । यह कार्य रामानुजगंज नगर पंचायत में नागरिक एकता के रूप में प्रारंभ है। इसका संचालन श्री रघुनाथ गुरूजी करेगें।
3. लोक स्वराज्य अभियान। लोकतंत्र को लोक नियुक्त तंत्र से बदलकर लोकनियंत्रित तंत्र बनाना इसका उदेश्य है। इसका कार्यालय अम्बिकापुर छ.ग., वर्धा(महाराष्ट्र) तथा दिल्ली में भी है। श्री ओम प्रकाश जी दुबे, दुर्गा प्रसाद जी आर्य, श्री सुरेश जी, श्री रणवीर शर्मा आदि यह कार्य कर रहे है।
4. ज्ञान मंदिर। स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस वर्ष प्राथमिक ज्ञान मंदिर शुरू होगें जो एक रामानुजगंज में चल रहा है तथा चार रामचन्द्रपुर विकासखंड में शुरू होगें। ज्ञान मंदिर का स्वामित्व स्थानीय नगर सभा ग्राम सभा का रहेगा। व्यवस्था ज्ञान मंदिर समिति करेगी। श्री प्रमोद सिंह संयोजक होगें।
5. ज्ञान कथा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अपनी चिन्तन शक्ति का विकास हो इसके लिये समय समय पर मुनि जी की ज्ञान कथायें आयोजित होंगी। प्रारंभ में फरवरी माह में सात दिन की कथा रामानुजगंज में होगी। अप्रैल में बिजनौर, कुरूक्षेत्र तथा राजस्थान में तीन तीन दिनों की कथायें रखी जायेगी। यह दायित्व श्री अरविन्द सिन्हा जी को दिया गया।

6. ज्ञान तत्व। पाक्षिक ज्ञान तत्व पिछले चालीस वर्षो से प्रकाशित हो रहा है। अब इसका कार्य पंकज अग्रवाल देखेंगे।
7. मासिक विचार मंथन सभा। इसका पूरा संचालन कन्हैया लाल के जिम्में में है।
8. कैसेट वितरण। मुनि जी की कथाओं के कैसेट पूरे भारत में एक सौ केन्द्रो में दिखाये जायें। इसकी कार्यालयीन व्यवस्था आनन्द गुप्त करेंगे।
9. अम्बिकापुर मासिक बैठक तथा सदस्यता का दायित्व नन्दराम जी अग्रवाल को दिया गया।
10. पूरे खर्च व्यवस्था के लिये संरक्षक और ट्रस्टी सदस्य बनाने की योजना बनी। संरक्षक सदस्य एक हजार रूपये वार्षिक तथा ट्रस्टी सदस्य दस हजार रूपये वार्षिक इकट्ठा करेंगे। इसका दायित्व श्री राम कृष्ण पटेल, श्री अमीरचन्द जी गुप्त तथा श्री विमलेश सिन्हा का रखा गया है। कोषाध्यक्ष का दायित्व श्री रमेश अग्रवाल रामानुजगंज को दिया गया है।

मुनि जी ने बताया कि ज्ञान यज्ञ परिवार एक संगठन का स्वरूप बन जाने से कार्य व्यवस्थित भी होगा और विस्तार भी होगा। साथ ही उन पर से बोझ हल्का होने से चिन्तन अधिक प्रखर होना संभव है। श्री प्रमोद केशरी ने सभी आयें हुये लोगों को धन्यवाद दिया।